राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ 10(न.पा)(गठन)( )डीएलबी/18/1583 जयपुर दिनांक 28/5/18

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.) (गठन)( )डीएलबी/15/4465-4500 दिनांक 02/06/2016 के ग्राम पंचायत नापासर जिला बीकानेर को तुरन्त प्रभाव से नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी घोषित किया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 4554/18(विशेष अनुमति याचिकाएं सं. 38618/16, व 11091/17) में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 की अनुपालना एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 3 का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना क्रमांक 4465 दिनांक 02.06.16 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगी ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ 10(न.पा)(गठन)( )डीएलबी/18/1584 to 1843 जयपुर दिनांक 28/5/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव,/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव,/ संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव /निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
8. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर बीकानेर को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय राजस्थान।
12. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय / समस्त अनुभाग, निदेशालय।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), कार्यालय समस्त राजस्थान।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
17. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु।
18. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका नापासर।
19. विकास अधिकारी/सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत नापासर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी